



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP01131414730703V

e-Stamp

ACC NAME - RAM MOHAN PATHAK  
Stamp Vendor LIC No.- 49  
E-Stamping ACC Id-UP14330004  
Tehsil Sadar, District AGRA  
Work Place-Civil Court, Agra  
Mob:- 9997999810, 9897555398  
babamp99@gmail.com, avi44120@gmail.com

Certificate No.	: IN-UP01131414730703V
Certificate Issued Date	: 29-Aug-2023 05:04 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (5V)/ up14330004/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1433000497814026962503V
Purchased by	: S R COLLEGE OF PHARMACY
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: S R COLLEGE OF PHARMACY
Second Party	: BOARD OF TECHNICAL EDUCATION
Stamp Duty Paid By	: S R COLLEGE OF PHARMACY
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write or type below this line



R.O.  
24-8-23

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at [www.stampservices.gov.in](http://www.stampservices.gov.in) or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on the Certificate shall be reported to the website / Mobile App centers if any.
3. The Govt. or providing the legitimacy (govt) on part of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Government Authority.

100-100-100-100  
SR COLLEGE OF PHARMACY, BOARD OF TECHNICAL EDUCATION, DISTRICT AGRA, UTTAR PRADESH


(प्रारूप—“अ”)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप।

हम देवेन्द्र सिंह एवं सुजाता प्रसाद क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव गायत्री देवी एजुकेशनल सोसायटी, नियर जलेसर रोड़, सहपऊ, हाथरस शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं:-

1. यह कि हमारा सोसायटी गायत्री देवी एजुकेशनल सोसायटी, नियर जलेसर रोड़, सहपऊ, हाथरस द्वारा एस.आर. कॉलेज ऑफ फार्मसी, सहपऊ, हाथरस नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारा सोसायटी के नाम गायत्री देवी एजुकेशनल सोसायटी (जहाँ भूमि स्थित है) नियर जलेसर रोड़, सहपऊ, हाथरस में गाटा संख्या 2511 रकबा 0.522 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.522 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 2511 रकबा 0.522 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.522 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी की बैठक दिनांक 12.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।



9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० अध्यक्ष

ह० सचिव



ATTESTED  
 02109123  
 Rakesh Kumar Singh  
 Reg. No. 210702, Gazetted Officer  
 Distt. Notary, AGRA